न्यायालय श्रीमान् सिविल जज सीनियर डिवीजन महोदय, मथुरा।

मुकदमा सं0 174 सन् 2021

ठाकुर केशव देव जी महाराज बनाम सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड

श्रीमान जी,

निवेदन है कि दावी हाजा वास्ते निरस्तीकरण राजीनामा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दायर किया गया है। वादीगण विवादित सम्पत्ति के मालिक हैं।

वादीगण सनातनी हिन्दू हैं और वादी सं0 2 हिन्दू महासभा का कोषाध्यक्ष है और कथित ईदगाह के कब्जा रहने से वादी सं0 2 की भावनाओं को ठेस पहुँच रही है।

विवादित सम्पत्ति कथित ईदगाह ठाकुर जी का पूर्व में गर्भागृह था और वादी सं0 2 की इच्छा है कि वादी सं0 2 गर्भागृह की शुद्धि गंगाजल व यमुना जल से करें ताकि वादी सं0 2 का जीवन सफल हो सके।

अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी सं0 1 व 2 को दौरान मुकदमा बरजित किया जावे कि वह वादी सं0 2 के द्वारा ठाकुर जी के गर्भगृह/कथित ईदगाह में प्रवेश कर गंगाजल व यमुना जल से शुद्ध करने में कोई रूकावट पैदा न करें।

दिनांक 23.05.2022

प्रार्थी/वादी

द्वारास–एडवोकेट

WWW.LIVELAW.IN